

छावनी परिषद अम्बाला सार्वजनिक सूचना

छावनी परिषद में रहने वाले सभी मकान मालिक/आकुपायर को सूचित किया जाता है कि छावनी परिषद अम्बाला द्वारा वर्ष 2022-2023 के हाउस/वाटर टैक्स के प्रोविजनल बिल बांट दिये गए हैं। आप सभी को सूचित किया जाता है कि बिल की अदायगी की आखरी तारीख 30.06.2022 है। इसलिये सभी से अनुरोध किया जाता है कि अपने मकान/बंगलो का टैक्स 30.06.2022 तक जमा कराये अन्यथा दिनांक 01.07.2022 को छावनी अधिनियम 2006 की धारा 100 के तहत नोटिस दिया जायेगा जिस पर नोटिस फीस भी लगी होगी। नोटिस का समय पूरा होने के पश्चात प्रापर्टी टैक्स पर 1 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज लगेगा इसलिये आप सभी से अनुरोध है कि आप अपना प्रापर्टी टैक्स दिनांक 30.06.2022 तक आन लाईन जमा कराके 1.5 प्रतिशत का लाभ प्राप्त करें।



(विनित बी.लौटे,भा.र.सं.से.)
मुख्य अधिशासी अधिकारी,
छावनी परिषद, अम्बाला ।